

S. 4-22

वकील प्रारोपण उपस्थित करीगण एवं उनसे
 औपचारिक उपस्थित नहीं। उन्हें कई बार
 आवाज लगावई गई कोई हाजिर नमस्ते
 आया। आज रात करीगण अरुम हाजिरी व अरुम
 में से स्वीकृत किया जाता है। प्रमाण
 फलदा सुभा। लोक शाखिल इफ्तार

उपखण्डाधिकारी
 मेलपर (म.प्र.)